

## वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक 2021

### प्रलिस के लयः

वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972, CITES

### मेन्स के लयः

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021

## चर्चा में क्यौं?

हाल ही में लोकसभा ने [वन्यजीव \(संरक्षण\) संशोधन वधियक, 2021](#) पारत कयऱ, जो [वन्य जीवों एवं वनस्पतयों की लुप्तप्राय प्रजातयों के अंतरराष्ट्रीय वयापार पर कन्वेंशन \(CITES\)](#) के कार्यानवयन का प्रावधान करता है।

## वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन वधियक 2021:

### परचयः

- इसे 17 दसंबर, 2021 को परयावरण, वन और जलवायु परवर्तन मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तावत कयऱ गया था।
- यह [वन्य जीव \(संरक्षण\) अधनियम, 1972](#) में संशोधन करता है।
- वधियक संरक्षत प्रजातयों की संख्या में वृद्धि और CITES को लागू करने का प्रयास करता है।

### वशषताएँ:

#### ○ CITES:

- वन्य जीवों एवं वनस्पतयों की लुप्तप्राय प्रजातयों के अंतरराष्ट्रीय वयापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES) एक **अंतरराष्ट्रीय समझौता** है जसका पालन राष्ट्रीय तथा कषेत्रीय आर्थक एकीकरण संगठन स्वैच्छक रूप से करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनश्चित करना है कवन्य जीवों एवं वनस्पतयों के अंतरराष्ट्रीय वयापार के कारण उनके अस्तित्व पर संकट न हो।
- कन्वेंशन में शामिल वभिन्न प्रजातयों के आयात, नरियात, पुनः नरियात एवं प्रवेश संबंधी प्रक्रयाओं को लाइसेंसगि प्रणाली के माध्यम से अधिकृत कयऱ जाना आवश्यक है। यह जीवत जानवरों के नमूनों को संरक्षत और वनियमत करने का भी प्रयास करता है।
  - वधियक CITES के इन प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है।

#### ○ प्राधकऱरण:

- वधियक केंद्र सरकार को एक प्राधकऱरण के गठन का प्रावधान करता है:
  - **प्रबंधन प्राधकऱरण**, जो नमूनों के वयापार के लयऱ नरियात या आयात परमत देता है।
    - अधसूचित नमूने के वयापार में संलग्न प्रत्येक व्यक्त को लेनदेन का ववरण प्रबंधन प्राधकऱरण को देना चाहयऱ।
    - वधियक कसऱ भी व्यक्त को नमूने की पहचान, चहिन को संशोधत करने या हटाने से रोकता है।
  - **वैज्ञानकऱ प्राधकऱरण**, जो वयापार कएऱ जा रहे नमूनों के अस्तित्व के प्रभाव से संबंधत पहलुओं पर सलाह देता है।

### ○ वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972:

- वर्तमान में इस अधनियम में वशष रूप से संरक्षत पौधों (I), वशष रूप से संरक्षत जानवरों (IV), और वार्मनऱ प्रजातयों (I) के लयऱ छह अनुसूचयऱ शामिल हैं।
  - यह वधियक अनुसूचयऱ की कुल संख्या को छः से घटाकर चार कर देता है:
    - अनुसूची I में उन प्रजातयों को शामिल कयऱ गया है, जन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है।
    - अनुसूची II में उन प्रजातयों को शामिल कयऱ गया है जन्हें अपेक्षाकृत कम सुरक्षा की आवश्यकता है।
    - अनुसूची III सभी प्रकार के पौधों को शामिल कयऱ गया है।
    - इस वधियक में वार्मनऱ प्रजातयों को अनुसूची से हटा दयऱ गया है।

■ वर्मनि प्रजातों से तात्पर्य उन छोटे जानवरों से है जो बीमारियों का प्रसार करते हैं तथा खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं

○ यह CITES के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों हेतु एक नवीन कार्यक्रम को भी सम्मिलित करता है।

■ आक्रामक वदेशी प्रजातियाँ:

○ यह केंद्र सरकार को [आक्रामक वदेशी प्रजातियों](#) के आयात, व्यापार या प्रसार को **वर्णनियमिती या प्रतर्बिंधति** करने का अधिकार देता है।

● आक्रामक वदेशी प्रजातियाँ पौधों या जानवरों की प्रजातियों को संदरभति करती हैं जो भारत की मूल प्रजातियाँ नहीं हैं और **जनिकी उपस्थिति से वन्यजीव या इसके आवास** पर प्रतर्कूल प्रभाव पड़ सकता है

○ केंद्र सरकार कसिी अधिकारी को **आक्रामक प्रजातियों को ज़ब्त करने और उनका नपिटान** करने के लयि अधिकृत कर सकती है।

■ अभयारण्यों का नयित्रण:

○ अधनियम मुख्य वन्यजीव अधिकारी को एक राज्य में **सभी अभयारण्यों को नयित्रति करने, प्रबंधति करने और बनाए** रखने का कार्य सौपता है।

○ मुख्य वन्यजीव अधिकारी की नयिकृती **राज्य सरकार** द्वारा की जाती है।

● यह वधियक नरिदषि्ट करता है कि मुख्य अधिकारी की कार्रवाई **अभयारण्य के लयि नरिधारति प्रबंधन योजनाओं** के अनुसार होनी चाहयि।

○ इन योजनाओं को **केंद्र सरकार के दशिा-नरिदेशों** के अनुसार और मुख्य वन्यजीव अधिकारी द्वारा दयि गए **अनुमोदन** के अनुसार तैयार कयिा जाएगा।

○ वशिष कषेत्रों के अंतर्गत आने वाले अभयारण्यों के लयि, संबंधति **ग्राम सभा** के साथ **उचति परामर्श** के बाद **प्रबंधन योजना** तैयार की जानी चाहयि।

○ वशिष कषेत्रों में अनुसूचति कषेत्र या वे कषेत्र शामिल हैं जहाँ **अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नविसी** (वन अधिकारों की मान्यता) अधनियम, 2006 लागू है।

○ अनुसूचति कषेत्र आर्थकि रूप से पछिडे कषेत्र हैं, जहाँ मुख्य रूप से आदविसी आबादी रहती है, **जसिसंवधान की पाँचवीं अनुसूची** के तहत अधसूचति कयिा गया है।

■ संरक्षण रज़िरव:

○ अधनियम के तहत राज्य सरकारें वनस्पतियों और जीवों तथा उनके आवास की रक्षा के लयि राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास के कषेत्रों को संरक्षण रज़िरव के रूप में घोषति कर सकती हैं।:

● वधियक केंद्र सरकार को भी एक संरक्षण रज़िरव को अधसूचति करने का अधिकार देता है।

■ दंड:

○ WPA अधनियम, 1972 अधनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास की सज़ा तथा जुर्माने का प्रावधान करता है।

● वधियक दंड के प्रावधानों में भी वृद्धि करता है।

उल्लंघन के प्रकार	अधनियम, 1972	वधियक, 2021
सामान्य उल्लंघन	25,000 रुपए तक	1,00,000 रुपए तक
वशिष रूप से संरक्षति जानवर	कम-से-कम 10,000 रुपए	कम-से-कम 25,000 रुपए

## वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972

■ **वन्यजीव (संरक्षण) अधनियम, 1972** जंगली जानवरों और पौधों की वभिनिन प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं वर्णनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नयित्रण के लयि एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

■ अधनियम में पौधों और जानवरों को भी सूचीबद्ध कयिा गया है, जनिहें सरकार द्वारा वभिनिन प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर नगिरानी की जाती है।

■ इस अधनियम में कई बार संशोधन कयिा गया है, अंतमि संशोधन वर्ष 2006 में कयिा गया था।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न : यद किसी वशिष पौधे की प्रजात को वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972 की अनुसूची VI के तहत रखा गया है, तो इसका क्या नहितार्थ है? (2020)

- उस पौधे की खेती के लयि लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- ऐसे पौधे की खेती कसिी भी परस्थिति में नहीं की जा सकती है।
- यह आनुवंशकि रूप से संशोधति फसल का पौधा है।
- ऐसा पौधा पारस्थितिकी तंत्र के लयि आक्रामक और हानिकारक है।

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिये अधिनियमि कयि गया है। अधिनियम में जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें छह अनुसूचियाँ हैं, जो अलग-अलग सुरक्षा प्रदान करती हैं।
  - अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं, इनके तहत अपराधों को उच्चतम दंड नरिधारति कयि जाता है।
  - अनुसूची III और अनुसूची IV में सूचीबद्ध प्रजातियाँ भी संरक्षति हैं, लेकनि उलंघन करने पर दंड का प्रावधान बहुत कम है।
  - अनुसूची V में वे जानवर शामिल हैं जनिका शकिार कयि जा सकता है।
  - अनुसूची VI में नरिदषिट स्थानकि पौधों को खेती और रोपण से प्रतबिंधति कयि गया है।
- अनुसूची VI में पौधे:
  - बेडडोम्स साइकैड (साइकस बेडडोमी),
  - ब्लू वांडा (वांडा सोरुलेक),
  - कुथ (सौसुरयि लपपा),
  - लेडीज़ सलपिर ऑर्कडि (पैपओपेडलिम एसपीपी)
  - पचिर प्लांट (नेपेंथेस खासयिाना),
  - रेड वांडा
- हालाँकि आगे यह भी कहा गया है कबिना लाइसेंस के नरिदषिट पौधों की खेती प्रतबिंधति है। अधिनियम की धारा 17सी के अनुसार, कोई भी व्यक्ती नरिदषिट पौधे की खेती नहीं करेगा, जब तक मुख्य वन्य जीव वार्डन या इस संबंघ में राज्य सरकार द्वारा अधकृत कसी अन्य अधकिारी द्वारा दयि गए लाइसेंस उपलब्ध न हो।

अतः वकिलप (a) सही है।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/wildlife-protection-amendment-bill-2021>

